रजिस्टर्ड सं० डी०-222

REGISTERED No. D.-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 1973/अग्रहायण 17, 1895

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 1973/AGRAHAYANA 17, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

भारत के राजपत्र, नई दिल्ली, तारीख 4 मई, 1963 से उद्धरण

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय मे

तथा

सशस्त्र बल पुनर्गठन निधि के विषय में

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1963

का०नि०आ० 144.—यत: रक्षा मन्त्रालय के भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड के सचिव ने उक्त उल्लिखित निधि के प्रशासक के रूप में और निधि को पूर्त उद्देश्यों के लिए न्यास में लगाने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति के रूप में आवेदन किया है कि इसकी अनुसूची 'क' में उल्लिखित निधि को भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल मे निहित किया जाए और उक्त निधि के प्रशासन के लिए स्कीम बनाई जाए;

अत: यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यथा पूर्वोक्त आवेदन पर तथा उक्त सचिव की सहमति से आदेश और निदेश देती है कि इसकी अनुसूची 'क' में वर्णित धन इस अधिसूचना से, भारत के पूर्व विन्यास कोषपाल मे निहित होगा और इसके पश्चात् निहित रहेगा और उक्त धन और उसकी आय को यह तथा पदोत्तरवर्ती इसकी अनुसूची 'ख' में दी गई स्कीम में उपवर्णित न्यास निबन्धनों के अनुसार (पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए) न्यास के रूप में धारण करेंगे।

और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि यथा पूर्वोक्त आवेदन पर और उक्त सचिव की सहमति से, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त विन्यास के प्रशासन के लिए इसकी अनुसूची "ख" मे दी गई स्कीम बनाई है और उक्त धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन यह भी आदेश दिया जाता है कि यह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची "क"

केन्द्रीय सरकार की सशस्त्र बल पुनर्गठन निधि में से 1, 40 81, 891.89 रु० की राशि भारतीय स्टेट/सेन्ट्रल बैंक, नई दिल्ली में निम्नलिखित प्रकार से जमा है—

I. विनिधान प्रतिभूतियां	अंकित मूल्य	बही मूल्य	वार्षिक ब्याज
	रु०	रु०	रु०
1	2	3	4
3 प्रतिशत निधि उधार 1966-68	52,93,200.00	55,48,491.25	1,58,796.00

107GI/73—1

1	2	3	4
3 प्रतिशत प्रथम विकास उधार 970-75	75,73,900.00	78,88,515.51	2,27,217.00
कुल	1,28,67,100.00	1,34,37,006.76	3,86,013.00

(क)

टिप्पण : उक्त प्रतिभूतियां भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के पास रखी हुई हैं ।

II. नकद

बैंक में नकद 6,44,885,13 रु०

(ख)

31 मार्च, 1963 को कुल आस्तियां अर्थात (क) धन (ख) 1,40,81,891.89 न०पै०

अनुसूची "ख"

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय में

तथा

सशस्त्र बल पुनर्गठन निधि के विषय में,

उपर्युक्त उल्लिखित निधि के प्रशासन के लिए

स्कीम

1. **परिभाषाएं** : स्कीम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "निधि" से सशस्त्र बल पुनर्गठन निधि अभिप्रेत है,

(ख) "वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

2. **निधि का उद्देश्य** : (क) निधि का उपयोग मुख्य रूप से रैंक मे अब सेवारत या भविष्य में सेवा करने वाले व्यक्तियों या भारतीय सशस्त्र बल में अभ्यावेशित अयोधकों के फायदे के लिए या उनके कुटुम्बों के फायदे के लिए उपाय करने के लिए किया जाएगा । निधि का उपयोग सामान्यत: व्यष्टिक अनुदान करने में नहीं किया जाएगा ।

(ख) निधि को निम्नलिखित प्रकार के उपायों पर व्यय किया जा सकेगा–

(i) शिक्षा;

(ii) लाइनों में कुटुम्ब कल्याण

(iii) लाइनों में सेवकों और सेविकाओं का कल्याण;

(iv) निर्योग्य व्यक्तियों की सामूहिक देखभाल;

(v) राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए नई बस्तियां बसाने के लिए और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के लिए अनुदान ।

(ग) निधि का उपयोग सामान्यत: निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा–

(i) किसी ऐसी स्कीम को वित्तीय सहायता देना जिसका उपबन्ध करना स्पष्ट रूप से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ।

(ii) सेवाओं या राज्यों में किसी अन्य निधि के लिए आरक्षिति का उपबन्ध करना;

(iii) अस्थायी स्कीमों को वित्तीय सहायता देना ।

3. **विस्तार** : निधि के उद्देश्यों का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

4. **निधि की आस्तियां** : उस धन के अतिरिक्त जिसका विवरण अनुसूची 'क' में दिया गया है, निधि की आस्तियों में सरकारी अनुदान तथा संदान और स्वेच्छा विन्यास जब कभी दिए जाये या प्राप्त किए जाएँ तब वे भी, सम्मिलित हैं ।

5. **आस्तियों का निहित होना** : निधि की आस्तियां जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका विवरण अनुसूची 'क' में दिया गया है, भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में स्कीम के अधीन निहित होंगी ।

6. **निधि का प्रबन्ध** : पूर्त विन्यास कोषपाल निधि के प्रबन्ध या प्रशासन का कार्य नहीं करेगा किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किन्ही साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए ऐसा प्रबन्ध और प्रशासन इसमें इसके पश्चात् वर्णित साधारण समिति में निहित होगा और उसमें निहित रहेंगा ।

7. **साधारण समिति** : निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए एक साधारण समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे–

अध्यक्ष
रक्षा मंत्री
उपाध्यक्ष
रक्षा उप मंत्री
सदस्य
रक्षा सचिव
थलसेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायुसेनाध्यक्ष

वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय (रक्षा)
महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन

सचिव

सचिव, भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड

8. **साधारण समिति के सदस्यों के संबंध में उपबन्ध** : (क) जहां कोई व्यक्ति साधारण समिति का सदस्य अपने द्वारा धारित पद के कारण हो जाए वहां, जब वह उस पद पर न रहे तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसका पदोत्तरवर्ती, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, उस रिक्ति में नाम निर्देशित किया गया समझा जाएगा ।

(ख) पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन रहते हुए, साधारण समिति का सदस्य उस दशा में ऐसा सदस्य नहीं रह जाएगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी वह त्यागपत्र दे दे, विकृत चित्त हो जाए, दिवालिया हो जाए, नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करने वाले दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष हो जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा हटा दिया जाए या अपने वर्तमान पद से स्थानान्तरित कर दिया जाए ।

(ग) सदस्यता से त्यागपत्र साधारण समिति के अध्यक्ष को दिया जाएगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब कि समिति की ओर से अध्यक्ष द्वारा मंजूर न कर लिया जाए ।

(घ) उपरोक्त उपखण्ड (क) के अधीन रहते हुए, उपखण्ड (ख) में उल्लिखित कारणों में से किसी कारण से साधारण समिति में हुई किसी रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशन से भरा जायगा ।

9. **कार्यकरण** : साधारण समिति उपविधियों द्वारा यथा अवधारित कार्यार्थ बैठक कर सकेगी और अपनी बैठकों और कार्यवाहियों का अन्यथा विनियमन कर सकेगी जब तक अन्यथा अवधारित न किया जाए, साधारण समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी। साधारण समिति की कोई बैठक जिसमें गणपूर्ति हो समिति के सभी या कोई कृत्य करने के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक मामले का अवधारण उपस्थित और प्रश्न पर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा । साधारण समिति के सचिव को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा। मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

10. **साधारण समिति के कृत्य** : इस बात के होते हुए भी कि कोई व्यक्ति, जो अपने पद के कारण साधारण समिति का सदस्य होने का हकदार है, तत्समय सदस्य न हो अथवा समिति में कोई अन्य रिक्ति हो गई हो, साधारण समिति कार्य करेगी और उसका कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उपर्युक्त घटनाओं में से कोई घटी या साधारण समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई त्रुटि रही ।

11. **उपविधियों का बनाया जाना** : साधारण समिति निधि और उसके न्यासों के विनियमन, प्रबन्ध और उसके निष्पादन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपविधियां बनाएगी और समय-समय पर उनमें परिवर्तन कर सकेगी या उन्हें विखण्डित कर सकेगी।

12. **समितियों की नियुक्ति** : साधारण समिति, एक कार्यकरण समिति और ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जैसे वह आवश्यक समझे नियुक्त कर सकेगी।

13. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** : साधारण समिति अपनी कोई भी शक्ति खण्ड 12 के अधीन नियुक्त कार्यकरण समिति को या उस समिति के एक या अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगी। जहां तक ऐसे प्रत्यायोजन का केवल अनुसचिवीय कार्यों से संबंध है, साधारण समिति अपने एक या अधिक अधिकारियों को भी अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

14. **साधारण समिति के सदस्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं** : साधारण समिति का सचिव और सदस्य किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे, किन्तु साधारण समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए की गई यात्राओं या उनके द्वारा निधि के प्रयोजन के लिए की गई यात्राओं को वास्तविक यात्रा-व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

15. **कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति** : ऐसे कर्मचारिवृन्द जो साधारण समिति आवश्यक समझे, साधारण समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्त किए गए किसी कर्मचारिवृन्द का पारिश्रमिक साधारण समिति द्वारा नियत किया जाएगा ।

17. **धन का जमा किया जाना** : प्राप्त सभी धन भारतीय स्टेट बैंक और या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य अनुसूचित बैंक में जमा किए जाएंगे ।

17. **लेखा और लेखापरीक्षा** : निधि के सभी धन और सम्पत्ति, का नियमित लेखा रखा जाएगा और उनकी लेखापरीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट या चार्टर्ड एकाण्टेंटों की फर्म या किसी अन्य मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा जिसे साधारण समिति नियुक्त करे, की जाएगी लेखापरीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि निधि में से व्यय निधि के उद्देश्यों के अनुसार सही तौर पर किया गया है। निधि के वार्षिक लेखे की प्रतियां जो निधि के लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से लेखा-परीक्षित और प्रमाणित हों, प्रत्येक वर्ष साधारण समिति को प्रस्तुत की जाएंगी ।

18. **निधि में लेन-देन** : निधि में लेन-देन समिति की ओर से महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

19. **संविदाएं** : सभी संविदाएं और अन्य हस्तान्तरण पत्र साधारण समिति के नाम में होंगे और उन पर उसकी ओर से महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन रक्षा मंत्रालय और भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु-सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे ।

20. **निधि का प्रयोग** : साधारण समिति के लिए वह विधि पूर्ण होगा कि वह निधि के धन को उल्लिखित निधि के उद्देश्यों पर खर्च करें ।

21. **निधि का उपयोजन** : पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, साधारण समिति को निधि का नियंत्रण और प्रशासन करने की और उसे या उसके किसी भाग को, जैसा वह निधि के उद्देश्यों के लिए साधक समझे, उपयोजित करने की शक्ति होगी ।

22. **विक्रय और धन का विनिधान** : साधारण समिति केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर सकेगा कि वह भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल को निदेश दे कि वह अपने में निहित किसी सम्पत्ति का विक्रय या अन्यथा व्ययन करे और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से सम्पत्ति के विक्रय या अन्य व्ययन के आगमों को, और ऐसे धन या सम्पत्ति को जिसका निधि के उद्देश्यों के लिए तुरन्त प्रयोग किया जाना अपेक्षित न हो, धन की ऐसी प्रतिभूति में जैसी साधारण समिति द्वारा प्रस्थापित और निवेश में विनिर्दिष्ट की जाए, या स्थावर सम्पत्ति के क्रय में विनिहित करे।

23. **अतिरिक्त विन्यासों की प्राप्ति** : साधारण समिति निधि के किसी धन या सम्पत्ति की वृद्धि के लिए या निधि के साधारण प्रयोजनों के लिए कोई अतिरिक्त विन्यास, संदान या अन्य अभिदाय प्राप्त कर सकेगी । वह इस स्कीम से संबंधित किसी विशेष प्रयोजन के लिए भी जो इस स्कीम के उपबन्धों से असंगत न हों, और उसके सम्यक् कार्यकरण में अड़चन डालने वाला न हो, विन्यास, संदान या अन्य अभिदाय प्राप्त कर सकेगी ।

[103-एस०बी०(67)61-आई०एस०एस०ए०बी०]

हस्ताक्षर
एस० देवनाथ,
उप-सचिव ।

टिप्पणी : अधिसूचना का अंग्रेजी रूपान्तर रक्षा मंत्रालय की दिनांक 18-4-63 के का०नि०आ० संख्या 144 के अंतर्गत प्रकाशित हो चुका है ।

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1966

का०नि०आ० 234 (यथा संशोधित) : यतः भारतीय सैनिक नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड के और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन और पुनर्वास के लिए विशेष निधि के सचिव ने, जिन्होंने इससे उपाबद्ध अनुसूची "क" में उल्लिखित निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि कहा गया है) को पूर्त उद्देश्यों के लिए न्यास में लगाने की प्रस्थापना की है, आवेदन किया है कि निधि को भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित किया जाये और निधि के प्रशासन के लिए स्कीम बनाई जाए

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यथापूर्वोक्त आवेदन पर तथा उक्त सचिव की सहमति से, आदेश देती है कि निधि इस अधिसूचना के प्रकाशन से, भारत पूर्त के विन्यास कोषपाल में निहित होगी और इसके पश्चात् निहित रहेगी और निधि तथा उसकी आय को वे तथा उनके पदोत्तरवर्ती इससे उपाबद्ध अनुसूची "ख" में निधि के प्रशासन के लिए दी गई स्कीम में उपवर्णित न्यास निबन्धनों के अनुसार (उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए) न्यास के रूप में धारण करेंगे ।

और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, निधि के प्रशासन के लिए उक्त स्कीम बनाई गई है, और यह कि यह 1 अक्टूबर, 1966 को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची "क"

केवल एक करोड़ रुपए न्यास-प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएंगे ।

अनुसूची "ख"

निधि के प्रशासन के लिए स्कीम

1. परिभाषाएं : इस स्कीम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ———

(क) 'निधि' से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन और पुनर्वास के लिए विशेष निधि है "केन्द्रीय निधि" से निधि का वह भाग अभिप्रेत है जो केन्द्रीय प्रबन्ध समिति द्वारा रखा जाए और उसका प्रबन्ध किया जाए "राज्य निधि" से निधि का वह भाग अभिप्रेत है जो किसी राज्य की स्कीमों पर खर्च करने के लिए पृथक रखा गया हो और जिसका प्रबन्ध राज्य-प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाए ;

"संघ राज्य क्षेत्र निधि" से निधि का वह भाग अभिप्रेत है जो किसी संघ राज्यक्षेत्र की स्कीमों पर खर्च करने के लिए पृथक रखा गया हो और जिसका प्रबन्ध संघ राज्य क्षेत्र प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाए ।

(ख) "भूतपूर्व सैनिक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी रैंक में या अयोधक (अभ्यावेशित) के रूप में सेवा करने के पश्चात् सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया गया हो, जिसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसकी ऐसी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई हो।

(ग) "आश्रितों" से अभिप्रेत है भूतपूर्व सैनिक की पत्नी, 21 वर्ष से कम आयु के अनर्जक पुत्रक, अविवाहित या विधवा पुत्रियों, 21 वर्ष से कम आयु के अनर्जक भाई और अनर्जक अविवाहित बहिनें तथा अनर्जक माता-पिता जो वस्तुतः भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित हों;

(2) **निधि के उद्देश्य**: निधि के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं में तकनीकों, प्रबन्ध संबंधी व्यावसायिक या कृषि संबंधी प्रशिक्षण के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वृत्तिकाएं देना ;

(ii) भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी सोसाइटियों या अन्य संगमों को, पुनर्वस्थापन की स्कीमों या परियोजनाओं, अर्थात् उद्यान-कृषि, पशुपालन, उद्योग, परिवहन और इसी प्रकार की स्कीमों या परियोजनाओं के लिए अनुदान या उधार मंजूर करना ;

(iii) भूतपूर्व सनिकों के आश्रितों को, हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी क्रम के पश्चात्, भारत में तकनीकों, व्यासायिक या कृषि संबंधी शिक्षा में उच्चतर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां या अनुदान मंजूर करना ;

(iv) वृद्ध या निराश्रित भूतपूर्व सैनिकों या भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के भरणपोषण के लिए सामूहिक प्रकृति के विशेष उपायों पर खर्च मंजूर करना ;

(v) भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग और कारबार उपक्रम प्रारंभ करने के लिए व्याष्टिक रूप से उधार देना ;

(vi) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपायों की अभिवृद्धि हेतु अन्य सब बातें करना ।

3. **निधि की आस्तियां** : (क) निधि (I) राष्ट्रीय रक्षा निधि में से से 5 करोड़ रु० के प्रारंभिक अभिदाय, तथा (ii) केन्द्रीय सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये के प्रारंभिक अभिदाय से बनेगी ।

(ख) निधि की आस्तियों के अन्तर्गत किसी भी समय, उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(i) राष्ट्रीय रक्षा निधि से या केन्द्रीय सरकार से निधि में और अभिदाय ;

(ii) राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र सरकारों या प्रशासनों से समय-समय पर प्राप्त हुए अभिदाय ;

(iii) कोई अन्य संदान या ऐच्छिक विन्यास जो प्राप्त किए जाए ; तथा

(iv) निधि की आस्तियों से आय ।

4. **निधी का विभाजन** :—

(क) राष्ट्रीय रक्षा निधि से और केन्द्रीय सरकार से प्रारंभिक अभिदाय के रूप में प्राप्त अभिदायों का 80 प्रतिशत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को, अपने-अपने राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों से सशस्त्र बलों में भर्ती किये गए सेवा कार्मिकों की संख्या जो कि 1 जनवरी 1965 को हो के आधार पर और ऐसे कार्मिकों की संख्या जो कि उस वर्ष की, जिसमें यथापूर्वोक्त पश्चात्वर्ती अभिदाय प्राप्त हुए हों, जनवरी के प्रथम दिन को हो, के आधार पर विभाजन के लिये आरक्षित रखा जाएगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गए अभिदायों में से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का अंश उन्हें केवल तभी विभाजित किया जाएगा जब कि यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार अथवा प्रशासन द्वारा निधि में ऐसे अंश के बराबर अभिदाय किया गया हो । ऐसा कोई अंश जो उस कलैंडर वर्ष से प्रारंभ होने वाले, जिसमें वह विभाजित किया जाना है, तीन कलैंडर वर्षों की अवधि के भीतर, उसके बराबर के अभिदाय के अभाव में, विभाजित न किया जाए, नीचे उपपैरा (ग) के अनुसार खर्च किये जाने के लिये केन्द्रीय प्रबन्ध समिति के व्ययनाधीन रखा जाएगा ।

(ग) निधि का अतिशेष, केन्द्रीय प्रबन्ध समिति के निदेशों के अधीन निधि के प्रबन्ध पर और उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये व्यय किये जाने के लिये उपलब्ध होगा ।

(घ) नेपाल, भुटान और सिक्किम से भारत सशस्त्र बलों में 1 जनवरी 1965 को और पश्चात्वर्ती वर्षों में भी रंगरूटों की संख्या के आधार पर इन देशों के अंश, केन्द्रीय प्रबन्ध समिति के व्ययनाधीन इन देशों के भूतपूर्व सनिकों के कल्याण मदें, ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी रीति से जो वह ठीक समझे, उपयोग किये जाने के लिये रखे जाएंगे ।

(ङ) केन्द्रीय प्रबन्ध समिति, अपने विवेकानुसार, उसके व्ययनाधीन रखी गई निधियों में से ऐसी निधियां नेपाल, भूटान और सिक्किम को आवंटित कर सकेगी जो वह इन राज्य क्षेत्रों के भारतीय सशस्त्र बलों मे निर्मुक्त किये गए भूतपूर्व सनिकों के कल्याण के लिये आवश्यक समझे ।

5. आस्तियों का निहित होना :—केन्द्रीय निधि और संघ राज्य क्षेत्रों की निधि की आस्तियां भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित होंगी और राज्य निधि की आस्तियां उस राज्य के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित होंगी ।

6. प्रबन्ध :—पूर्त विन्यास कोषपाल निधि के प्रबन्ध या प्रशासन का कार्य नहीं करेगा, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, प्रबन्ध और प्रशासन, यथोस्थिति केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति में निहित होगा और उसमें निहित रहेगा ।

7. केन्द्रीय प्रबन्ध समिति :—(i) निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के लिये एक केन्द्रीय प्रबन्ध समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

रक्षा मंत्री

उपाध्यक्ष

रक्षा उत्पादन मंत्री

सदस्य

सचिव, रक्षा मंत्रालय

थलसेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायुसेनाध्यक्ष

वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय (रक्षा)

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन के भारसाधक संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो भूतपूर्व सैनिक आफिसर महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन, रक्षा मंत्रालय

सचिव

सचिव, भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड

8. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रबन्ध समिति :—

(क) केन्द्रीय प्रबन्ध समिति, की साधारण नीति और निदेशों के अधीन रहते हुए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उन स्कीमों के प्रकार भी विनिर्दिष्ट किये जाएंगे जिनके लिये निधि से अनुदान और उधार दिए जा सकेंगे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र निधियों के प्रबन्ध और प्रशासन के लिये राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समितियां गठित की जाएंगी । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

(i) राज्यपाल/उप राज्यपाल/मुख्य आयुक्त/प्रशासक

प्रथम उपाध्यक्ष

(ii) मुख्य सचिव, या उसके द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त, राज्य सरकार या प्रशासन का, सचिव की हैसियत का कोई जयेष्ठ अधिकारी ।

द्वितीय उपाध्यक्ष

(iii) किसी एरिया का जनरल आफिसर कमांडिंग, या उसी रैंक का सेना आफिसर या स्वतंत्र सब एरिया का कमांडर या नौसेना या वायुसेना में तत्समान रैंक का कोई अधिकारी जिसे स्टाफ समिति के प्रधान द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

सदस्य

(iv) स्टाफ समिति के प्रधान द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले दो भूतपूर्व सैनिक आफिसर ।

(v) राज्य सरकार/प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिक से अधिक दो ऐसे व्यक्ति जो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण में रुचि रखते हों ।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति को शक्ति प्राप्त होगी कि वह किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में सहयोजित करे, किन्तु ऐसे सहयोजित सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड का सचिव राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति का सचिव होगा । कोई अन्य अधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।

(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति के गठन में परिवर्तन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा ।

9. पदावधि : (क) जहां कोई व्यक्ति अपने द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण केन्द्रीय या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति का सदस्य हो जाए वहां, जब वह उस पद या नियुक्ति पर न रहे, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी ।

(ख) खंड (क) के अधीन रहते हुए, नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी । कोई भी सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

10. निधि का उपयोजन : पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रबन्ध समिति को निधि का नियंत्रण और प्रशासन करने की और उसका या उसके किसी भाग का, जैसा वह निधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे, उपयोजन करने की शक्ति होगी, परन्तु—

(क) केवल भूतपूर्व सैनिकों आफिसरों और उनके आश्रितों को उधार दिए जाएंगे;

(ख) उधारों के लिए ब्याज की दर वह होगी जो संबंधित सरकार/प्रशासन द्वारा राज्य के राजस्वों में से उसके कर्मचारियों के लिए मंजूर किए गए उधारों/अग्रिमों की बाबत प्रति वर्ष नियत की जाए; तथा

(ग) निधि का उपयोग ऐसी स्कीम को वित्तीय सहायता देने के लिए नहीं किया जाएगा जिसका उपबन्ध करना सामान्यतः केन्द्र या राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन का उत्तरदायित्व है ।

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार अथवा प्रशासन के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी किसी स्कीम को निधि में से वित्तीय सहायता दी जा सकेगी ।

(ii) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति प्रति वर्ष फरवरी में वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए एक विवरण भेजेगी जिसमें वह रीति जिससे निधियों को नीति के उद्देश्यों पर खर्च किया गया है, निधि के व्ययनाधीन अतिशेष और वह रीति जिससे निधि की आस्तियों को आगामी वर्ष में खर्च किया जाना प्रस्थापित है, उपदर्शित की जाएगी ।

(iii) केन्द्रीय प्रबन्ध समिति प्रस्थापनाओं पर अपनी टिप्पणियां राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति को संसूचित कर सकेगी और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप देने के पूर्व ऐसी टिप्पणियों पर विचार करेगी ।

11. **कार्यकरण** : (क) केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति उपविधियों के अनुसार कार्यार्थ बैठक कर सकेगी और अपनी बैठकों और कार्यवाहियों को स्थगित या अन्यथा विनियमित कर सकेगी ।

(ख) प्रबन्ध समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तीन सदस्यों से होगी और प्रबन्ध समिति की कोई बैठक जिसमें गणपूर्ति हो, समिति के सभी या कोई कृत्य करने के लिए सक्षम होगी ।

(ग) बैठक का सभापतित्व प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष या, उसकी अनुपस्थिति में प्रथम उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । यदि अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित न हों तो उसका सभापतित्व द्वितीय उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । यदि किसी बैठक में इनमें से कोई भी उपस्थित न हो तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व, बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे ।

(घ) प्रत्येक मामले का अवधारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा । सचिव को, उस दशा के सिवाय जब कि वह सदस्य भी हो, मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा । मत बराबर होने की दशा में मामले का अवधारण यथास्थिति समिति के सचिव या बैठक के अध्यक्ष के निर्णायक मत से होगा ।

12. **उपविधियां बनाना** : केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति निधि और उसके न्यासों के विस्तृत विनियमन, प्रबन्ध और उसके निष्पादन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपविधियां बना सकेगी और समय समय पर उनमें परिवर्तन कर सकेगी या उन्हें विखण्डित कर सकेगी ।

13. **उप-समिति की नियुक्ति** : केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति अपने सदस्यों में से बनाई गई एक कार्यकारिणी उप-समिति नियुक्त कर सकेगी जिसे वह वे शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जो वह ठीक समझे । यह निधि में से सहायता के लिए स्कीमों या अन्य प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने, उन्हें अपनी सिफारिशों सहित प्रबन्ध समिति को भेजने तथा निधि के प्रशासन से संबंधित अन्य मामलों पर प्रबन्ध समिति को सलाह देने के लिए अपने सदस्यों या उनके प्रतिनिधियों में से बनाई गई एक सलाहकार उप-समिति भी नियुक्त कर सकेगी ।

14. **निधि को अन्तरित करने का अधिकार** : (i) केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति को निधि के उद्देश्यों के समान उद्देश्यों के संप्रवर्तन के लिए स्थापित किसी अन्य सोसायटी या संगम को अपनी अपनी निधि या उसका कोई भाग अन्तरित करने की शक्ति होगी परन्तु यह तब जब कि, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन का उस संबंध में पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो ।

(ii) केन्द्रीय सरकार, यदि वह किसी राज्य के पुनर्गठन के कारण आवश्यक समझे तो, उस राज्य की निधि को अन्य राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को, उन राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रबन्ध किए जाने के लिए, वितरित कर सकेगी ।

15. **प्रबन्ध समिति के सदस्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं है** :—
प्रबन्ध समिति के सदस्य किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे ।

16. **कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति** : पुनर्व्यवस्थापन निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय प्रबन्ध समिति के लिपिकीय कार्य के लिए आवश्यक कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था करेगा और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड का कार्यालय संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति के लिपिकीय कार्य के लिए कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था करेगा ।

17. **धन का जमा किया जाना और विनिधान** : केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति निधि के धन का भाग, जैसा वह समुचित समझे, न्यासी—प्रतिभूतियों में विनिहित करेगी और तब उसे, यथास्थिति भारत के या संबंधित राज्य के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित करेगी । वह धन के अतिशेष को भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी समनुषंगी बैंक अथवा किसी अनुसूचित बैंक जिसमें अन्तिम वार्षिक तुलनापत्र के अनुसार निक्षेप 10 करोड़ रुपये से कम न हो, में एक या अधिक खातों में जमा कर सकेगी ।

18. **खातों का चलाया जाना** : (i) केन्द्रीय निधि के खाते महानिदेशक, पुनर्व्यवस्थापन तथा केन्द्रीय प्रबन्ध समिति की ओर से केन्द्रीय निधि के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाएंगे ।

(iii) राज्य निधि/संघ राज्यक्षेत्र निधि के खाते संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन के मुख्य सचिव या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति में उनके प्रतिनिधि तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति की ओर से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र निधि के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाएंगे ।

19. **लेखा और लेखा परीक्षा** : निधि के सभी धन और सम्पत्ति का नियमित लेखा रखा जाएगा और उनकी लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटों की फर्म या किसी अन्य मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा जिसे केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति, यथास्थिति केन्द्रीय निधि, राज्य निधि या संघ राज्यक्षेत्र निधि के लिए नियुक्त करे, की जाएगी । लेखापरीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि निधि में से व्यय निधि के उद्देश्यों के अनुसार सही तौर पर किया गया है ।

20. **वार्षिक रिपोर्ट** : यथास्थिति केन्द्रीय, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा, केन्द्रीय सरकार (रक्षा मन्त्रालय) को राज्य सरकार को तथा संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात किन्तु उसके छः मास के अपश्चात, वार्षिक रिपोर्टें भेजी जाएंगी जिनमें वे स्कीमें जिनकी निधि में से सहायता दी गई है तथा लेखाओं के वार्षिक लेखापरीक्षा विवरण दर्शित किए जाएंगे ।

[फा० सं० 11/6/64/डी (ए जी I)]

एप वेंकटनाथ, उप-सचिव

टिप्पणी : अधिसूचना का अंग्रेजी रूपान्तर रक्षा मंत्रालय की दि० 27-9-66 के का० नि० आ० संख्या 234 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका है ।

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1973

का० नि० आ० 355.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मन्त्रालय के रेडार और संचार परियोजना कार्यालय में परियोजना अधिकारी (विविध) के वर्ग 1 राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का नाम रेडार और संचार परियोजना कार्यालय (परियोजना अधिकारी (विविध) भर्ती नियम, 1973 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हताएँ** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उपरोक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
परियोजना अधिकारी (विविध)	1 (एक)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 1, राजपत्रित	1300-60-1600 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल की जा सकेगी) ।	**आवश्यक** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दूर संचार/इलेक्ट्रोनिकी/विद्युत् इंजीनियरी में उपाधि जिसमें इलेक्ट्रोनिकी एक विशेष विषय के रूप में रही हो या समतुल्य अर्हता । (ii) सूक्ष्मतरंग पद्धति या समाक्ष केबिल और अन्य वाहक पद्धतियों का लगभग दस वर्ष का अनुभव । (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी) । **वांछनीय** (i) उपरिवर्णित विषयों में से किसी में स्नातकोत्तर उपाधि । (ii) योजना इंजीनियरी और वाहक/सूक्ष्मतरंग संचार पद्धतियों के संस्थापन का अनुभव ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पद धारण किए हुए हों या जिन्होंने 700—1250 रु० वेतनमान या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम-से-कम पांच वर्ष सेवा की हो और जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित अर्हताएं हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी) ।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

[फा० सं० ए/05420/सी ए ओ (आर एण्ड आर-2)]

डी० सी० अग्रवाल,

सहायक सी० ए० ओ०

New Delhi, the 21st November, 1973

S.R.O. 355.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Class I Gazetted post of Project Officer (Multiplex) in Radar and Communication Project Office, Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Radar and Communication Project Office (Project Officer—Multiplex) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Project Officer (Multiplex)	1	Civilians in Defence Services Class I Gazetted	Rs. 1300-60-1600.	Not Applicable	45 years. (Relaxable for Government servants).	**Essential:** (i) Degree in Telecommunication/Electronics/Electrical Engineering with Electronics as a special subject of a recognised University or equivalent qualification. (ii) About 10 years experience in Microwave System or Coaxial cable and other carrier systems. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well qualified.) **Desirable:** (i) Post-graduate degree in any of the subjects mentioned above. (ii) Experience in Planning Engineering and installation of carrier/microwave communication systems.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	**Transfer on deputation :** Officers holding analogous posts or with atleast five years service in posts in the scale of Rs. 700-1250 or equivalent scale under the Central Government and possessing the qualifications prescribed for direct recruits. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years.)	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[File No. A/05420/CAO (R & R-II]
D. C. AGGARWAL, Asstt. C.A.O.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1973

का. नि. आ. 356.—राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 के नियम 42 के उप नियम (2) के साथ पठित, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 42, तारीख 11 जनवरी 1971 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उड़ीसा राज्य के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक राज्य सलाहकार समिति नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. राज्य-पाल का सलाहकार, उड़ीसा सरकार (अध्यक्ष) ।
2. सचिव, उड़ीसा सरकार, शिक्षा विभाग ।
3. कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ।
4. कुलपति, बहरामपुर विश्वविद्यालय, बहरामपुर (गंजाम) ।
5. कुलपति, सम्बलपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा, भुवनेश्वर ।
6. कुलपति, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उड़ीसा, भुवनेश्वर ।

7. निदेशक, लोक-शिक्षण (उच्चतर शिक्षा), उड़ीसा ।

8. निदेशक, लोक-शिक्षण (स्कूल शिक्षा), उड़ीसा ।

9. जनरल स्टाफ आफिसर-1, मुख्यालय उड़ीसा-बिहार-स्वतंत्र, उप-क्षेत्र ।

10. श्री बैद्यनाथ मिश्र, प्रधानाचार्य, बी. जे. बी. महा-विद्यालय भुवनेश्वर ।

11. श्री उदय चन्द्र मिश्र, प्रधानाचार्य, पंचायत महाविद्यालय, बाड़ागढ़ ।

12. श्री दुर्गा कांत मिश्र, प्रधानाध्यापक, बालासोर जिला विद्यालय, बालासोर ।

13. श्री नारायण चन्द्र कार, प्रधानाध्यापक, एन. आर. उच्च विद्यालय, परलाखेमंडी, गंजाम ।

14. निदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उड़ीसा, भुवनेश्वर ।

15. श्रीमति सैरन्ध्री नायक, सम्बलपुर ।

16. श्री. पी. सी. घड़ै, जाजपुर रोड, कटक ।

17. मेजर सी. वी. सेम्युल, कटक ।

18. सचिव, उड़ीसा सरकार, वित्त विभाग, कटक ।

19. पुलिस महानिरीक्षक, उड़ीसा ।

20. श्री एन. के. दास, उप-निदेशक, लोक शिक्षण (शारीरिक शिक्षा) उड़ीसा (सचिव)

महेन्द्र सिंह, उप-सचिव

New Delhi, the 23rd November, 1973

S.R.O. 356.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), read with sub-rule (2) of rule 42 of the National Cadet Corps Rules, 1948, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 42, dated the 11th January, 1971, the Central Government hereby appoints a State Advisory Committee of the National Cadet Corps. for the State of Orissa consisting of the following persons, namely :—

1. The Advisor to the Governor, Government of Orissa (Chairman).
2. The Secretary to the Government of Orissa. Education Department.
3. The Vice-Chancellor, Utkal University, Bhubaneswar.
4. The Vice-Chancellor, Berhampur, University, Berhampur, (Ganjam).
5. The Vice-Chancellor, Sambalpur University, Sambalpur.
6. The Vice-Chancellor, Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar.
7. The Director of Public Instruction (Higher Education), Orissa.
8. The Director of Public Instruction (Schools Education) Orissa.
9. The General Staff Officer-I, HQ Orissa—Bihar Independent Sub-Area.
10. Shri Baidyanath Misra, Principal, B.J.B. College, Bhubaneswar.
11. Shri Udaya Chandra Misra, Principal, Panchayat College, Baragarh.
12. Shri Durga Kanta Misra, Head Master, Balasore Zilla School, Balasore.
13. Shri Narayan Chandra Kar, Head Master, N.R. High School, Parlakhemundi, Ganjam.
14. The Director, National Cadet Corps, Orissa, Bhubaneswar.
15. Smt. Sairendri Nayak, Sambalpur.
16. Shri P. C. Ghadei, Jajpur Road, Cuttack.
17. Major C. V. Samuel, Cuttack.
18. The Secretary to the Government of Orissa, Finance Department, Cuttack.
19. The Inspector General of Police, Orissa.
20. Shri N. K. Das, Deputy Director Public Instruction, (Physical Education) Orissa. (Secretary).

MAHENDRA SINGH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1973

का. नि. आ. 357.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सागर छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से, सागर छावनी की परिसीमाओं में उन सब व्यक्तियों पर जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में प्रगणित व्यापार, वृत्तियां या आजीविकाएं करते हैं उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में प्रत्येक ऐसे व्यापार, वृत्ति या आजीविका के सामने विनिर्दिष्ट दर पर कर अधिरोपित करता है :

परन्तु,

1. जो व्यक्ति एक से अधिक व्यापार, वृत्तियां या आजीविकाएं एक ही परिसर में करता है, वह उस व्यापार, वृत्ति या आजीविका की बाबत, जिसके लिए कर की दर सब से अधिक हो, कर की पूरी रकम और अन्य व्यापारों, वृत्तियों या आजीविकाओं के लिए विहित कर के आधे का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

2. जो व्यक्ति एक से अधिक परिसरों में व्यापार, वृत्ति या आजीविका करता है वह प्रत्येक परिसर के लिए पृथक-पृथक कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

3. किसी एक वर्ष में किसी व्यक्ति द्वारा देय कुल रकम 250 रु. से अधिक नहीं होगी ।

4. किसी व्यापार, वृत्ति या आजीविका के उस व्यवहारी से जो अपना कारबार किसी विशिष्ट वर्ष में एक अक्तूबर को या उस के बाद प्रारंभ करता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह केवल उस वर्ष के लिए उक्त अनुसूची में विहित कर के आधे का संदाय करे ।

अनुसूची

क्रम सं०	कर के संदाय के लिए दायी व्यक्तियों का वर्ग	जब तक अन्यथा विहित न किया जाए प्रतिवर्ष अथवा वर्ष * के भाग के लिए कर की दर
1	2	3
		रु० पै०
1.	तारकोल का ए० एस० सी० ठेकेदार . .	15.00
2.	सूखे या ताजे फलों का ए० एस० सी० ठेकेदार .	50.00
3.	घास चारा या भूसा का ए० एस० सी० ठेकेदार या डेरी फार्म के ठेकेदार	50.00
4.	किराये के परिवहन का ए० एस० सी० ठेकेदार .	25.00
5.	बर्फ का ए० एस० सी० ठेकेदार . . .	15.00

1	2	3
6.	पशुधन का ए० एस० सी० ठेकेदार	50.00
7.	डेरी फार्म या दूध का ए० एस० सी० ठेकेदार	50.00
8.	मांस का ए० एस० सी० ठेकेदार	100.00
9.	सोडावाटर का ए० एस० सी० ठेकेदार	15.00
10.	प्याज और आलू का ए० एस० सी० ठेकेदार	15.00
11.	प्याज का ए० एस० सी० ठेकेदार	10.00
12.	आलू का ए० एस० सी० ठेकेदार	10.00
13.	कुक्कुट, अन्डे, मछली और कुक्टशावक का ए० एस० सी० ठेकेदार	25.00
14.	सूअर के मांस का ए० एस० सी० ठेकेदार	15.00
15.	कली-चूना का ए० एस० सी० ठेकेदर	10.00
16.	सब्जियों का ए० एस० सी० ठेकेदार	50.00
17.	फलों का ए० एस० सी० ठेकेदार	50.00
18.	लकड़ी का ए० एस० सी० ठेकेदार	25.00
19.	जो व्यापार, वृत्ति या आजीविका ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उसका ए० एस० सी० ठेकेदार	25.00
20.	प्रथम वर्ग का सी० एस० डी० ठेकेदार	50.00
21.	द्वितीय वर्ग का सी० एस० डी० ठेकेदार	25.00
22.	रसायनज्ञ या औषधि विक्रेता	15.00
23.	हकीम या वैद्य अथवा होम्योपैथिक व्यवसायी	10.00
24.	विधि-व्यवसायी	25.00
25.	चिकित्सा व्यवसायी (ऐलोपैथिक)	25.00
26.	साहूकार (रजिस्ट्रीकृत)	50.00
27.	शूकरालय का ठेकेदार या शूकरालय उत्पादकों का प्रदायक	50.00
28.	रजिस्ट्रीकृत या प्राइवेट डेरी का स्वत्वधारी	15.00
29.	चलता-फिरता सिनेमा, सरकस और रंगशाला का पहले 15 दिन के लिए स्वत्वधारी	50.00
30.	चलता-फिरता सिनेमा, सरकस और रंगशाला का स्वत्वधारी प्रत्येक अतिरिक्त 10 दिन या उसके भाग के लिए	25.00
31.	आरा मशीन का स्वत्वधारी	50.00
32.	प्रेस स्वामी (अ) हस्त प्रेस	10.00
	(ब) विद्युत प्रेस	25.00
	(स) लिथो प्रेस	50.00
33.	इमारतों और सड़कों के लिए पी० डब्ल्यू डी० या एम० ई० एस० या रेल या छावनी बोर्ड का रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार :—	
	(क) 25,000 रु० तक के कुल प्राक्कलित संकर्म	75.00
	(ख) 50,000 रु० तक के कुल प्राक्कलित संकर्म	100.00
	(ग) 1,00,000 रु० तक के कुल प्राक्कलित संकर्म	150.00
	(घ) 1,00,000 रु० से अधिक के कुल प्राक्कलित संकर्म	200.00
34.	इमारतों और सड़कों के लिए पी० डब्ल्यू डी० या एम० ई० एस० या रेल या छावनी बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार से भिन्न ठेकेदार	50.00
35.	फोटोग्राफर	15.00
36.	दर्जी की दुकान के लिए रेजीमेंट का ठेकेदार	10.00
37.	बनिया की दूकान के लिए रेजीमेंट का ठेकेदार	25.00
38.	मोची की दुकान के लिए रेजीमेंट का ठेकेदार	10.00
39.	साईकिल की दुकान के लिए रेजीमेंट का ठेकेदार	15.00
40.	काफी या चाय की दुकान के लिए रेजीमेंट का ठेकेदार	15.00
41.	नाई की दुकान के लिए रेजीमेंट का ठेकेदार	15.00
42.	धोबी की दुकान के लिए रेजीमेंट का ठेकेदार	25.00
43.	विद्युत ऊर्जा के प्रदायक	200.00
44.	लकड़ी व्यापारी	100.00
45.	लकड़ी व्यापारी जिनकी आरा मशीन है	150.00
46.	अंग्रेजी शराब, बियर या देसी शराब के विक्रेता	100.00

[फा० सं० 53/26/सी०/एल० एण्ड सी०/71/2945-सी/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

New Delhi, the 24th November, 1972

S.R.O. 357.—In exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Cantonment Board, Saugar, with the previous sanction of the Central Government, hereby imposes a tax on all persons carrying on, within the limits of the Saugor Cantonment, the trades, professions or callings enumerated in column 2 of the Schedule hereto annexed, at the rates specified against each such trade, profession or calling in column 3 of the said Schedule;

Provided that :

(1) A person carrying on more than one trade, profession or calling in the same premises shall be liable to pay the full amount of tax in respect of the trade, profession or calling for which the rate of tax is highest and half of the tax prescribed for the other trades, professions or callings.

(2) A person carrying on trade, profession or calling in more than one premises shall be liable to pay the tax separately for each premises.

(3) The aggregate amount payable by a person in any one year, shall not exceed rupees two hundred and fifty.

(4) The dealer of any trade, profession or calling starting his business on or after the 1st day of October in a particular year shall be required to pay half of the tax prescribed in the said Schedule for that year only.

SCHEDULE

Sl. No.	Class of persons liable to the payment of the tax	Rate of tax per year or part of a year unless otherwise prescribed.
1	2	3
		Rs. P.
1.	A.S.C. Contractor for charcoal	15.00
2.	A.S.C. Contractor for fruits dry or fresh	50.00
3.	A.S.C. Contractor or Dairy Farm Contractor for grass fodder or bhusa	50.00
4.	A.S.C. Contractor for hired transport	25.00
5.	A.S.C. Contractor for ice.	15.00
6.	A.S.C. Contractor for livestock	50.00
7.	A.S.C. Contractor for Dairy farm or milk Contractor.	50.00
8.	A.S.C. Contractor for meat	100.00
9.	A.S.C. Contractor for mineral water	15.00
10.	A.S.C. Contractor for onions and potatoes.	15.00
11.	A.S.C. Contractor for onions	10.00
12.	A.S.C. Contractor for potatoes	10.00
13.	A.S.C. Contractor for poultry, eggs, fish and chickens.	25.00
14.	A.S.C. Contractor for pork.	15.00
15.	A.S.C. Contractor for quick lime	10.00
16.	A.S.C. Contractor for Vegetables	50.00

1	2	3
		Rs. P.
17.	A.S.C. Contractor for Fruits	50.00
18.	A.S.C. Contractor for Wood	25.00
19.	A.S.C. Contractor for trade, profession or calling not specified above	25.00
20.	C.S.D. Contractor Class I.	50.00
21.	C.S.D. Contractor Class II	25.00
22.	Chemist or Druggist.	15.00
23.	Hakim or Vaidya or Homeopathic Practitioner	10.00
24.	Legal Practitioner	25.00
25.	Medical Practitioner (Allopathic)	25.00
26.	Money Lender (Registered)	50.00
27.	Piggery Contractor or Supplier of piggery products	50.00
28.	Proprieter of Dairy Registered or Private	15.00
29.	Proprietor of a Mobile Cinema, Circus and Theatre for first fifteen days	50.00
30.	Proprietor of a Mobile Cinema, Circus and Theatre for every additional ten days or part thereof	25.00
31.	Proprietor of Saw Mill	50.00
32.	Press owner (a) Hand Press	10.00
	(b) *Electric Press*	25.00
	(c) Litho Press	50.00
33.	P.W.D. or M.E.S. or Railway or Cantt. Board Registered Contractor for buildings and roads:—	
	(a) Total estimated works up to Rs. 25/000-	75.00
	(b) Total estimated works up to Rs. 50,000/-	100.00
	(c) Total estimated works up to Rs. 1,00,000/-	150.00
	(d) Total estimated works over Rs. 1,00,000/-	200.00
34.	P.W.D. or M.E.S. or Railway or Cantt. Board Registered Contractor other than for Buildings and Roads	50.00
35.	Photographer	15.00
36.	Regimental Contractor for Tailor shop	10.00
37.	Regimental Contractor for Bania shop	25.00
38.	Regimental Contractor for Bootmaker	10.00
39.	Regimental Contractor for Cycle shop	15.00
40.	Regimental Contractor for Coffee or Tea shop	15.00
41.	Regimental Contractor for Barber	15.00
42.	Regimental Contractor for Washerman	25.00
43.	Supplier of Electric Energy	200.00
44.	Timber Merchant	100.00
45.	Timber Merchant having Saw Mill	150.00
46.	Vendors of English Wines, Bear or Country Liquor	100.00

[File No. 53/26/C/L&C/71/2945-D (Q&C)

का. नि. आ. 358.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, एतद्द्वारा इलाहाबाद छावनी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 28 मार्च, 1974 तक या उनके पद उत्तराधिकारी के, शासकीय राजपत्र में निर्वाचन अधिसूचना की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फाइल सं. 29/35/सी/एल. एण्ड सी/66/2993-सी/डी (क्यू एण्ड सी]

S.R.O. 358.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 15 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government being satisfied that it is necessary in order to avoid administrative difficulty hereby extents the term of office of all the elected members of Allahabad Cantonment Board up to 28th March, 1974, or the date of notification of elections of their successors in office in the official Gazette, whichever is earlier.

[File No. 29/35/C/L&C/66/2993-C/D(Q&C)]

का. नि. आ. 359.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, एतद्द्वारा दानापुर छावनी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 10 मार्च, 1974 तक या उनके पद उत्तराधिकारी के, शासकीय राजपत्र में निर्वाचन अधिसूचना की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फाइल नं. 29/26/सी./एल. एण्ड सी./66/2994-सी/1/डी. (क्यू. एण्ड सी.]

S.R.O. 359.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 15 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government being satisfied that it is necessary in order to avoid administrative difficulty hereby extends the term of office of all the elected members of Dinapore Cantonment Board up to 10th March, 1974, or the date of notification of elections of their successors in office in the official Gazette, whichever is earlier.

[File No. 29|26|C|L&C|66|2994-C|1|D(Q&C)]

का. नि. आ. 360.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10 फरवरी 1974 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को दानापुर छावनी में साधारण निर्वाचन किए जाएंगे।

[फाइल सं. 29/26/सी/एल एण्ड सी/66/2994-सी./डी. (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. थम्पीराज, अवर सचिव

S.R.O. 360.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 10th February, 1974, as the date on which elections in Dinapore Cantonment shall be held.

[File No. 29/26/C/L&C/66/2994-C/D(Q&C)]
D. R. THAMPIRAJ, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1973

का. नि. आ. 361.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय के अधीन रेडार और संचार परियोजना कार्यालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (वर्ग 3 अराजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम रेडार और संचार परियोजना कार्यालय (कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उपरोक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

रक्षा मंत्रालय के अधीन रेडार और संचार परियोजना कार्यालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (मानचित्रकार) के पदों के लिए भर्ती नियम ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (मानचित्रकार)	एक	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 3, अराजपत्रित ।	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अनधिक ।	**आवश्यक :** (1) प्रथम या द्वितीय श्रेणी में भूगोल में बी० ए० की उपाधि जिसमें मानचित्रकला एक विषय के रूप में रही हो । (2) सर्वेक्षण कार्य के लिए नक्शों की व्याख्या का अनुभव । **वांछनीय :** भूगोल में आनर्स/मास्टर की उपाधि ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में नियोजित हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अनधिक न होगी)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

रक्षा मंत्रालय के अधीन रेडार और संचार परियोजना कार्यालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (संस्थापन योजना) के पद के लिए भर्ती नियम।

1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (संस्थापन योजना)	छह	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, वर्ग 3 अराजपत्रित।	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अनधिक। (परन्तु 18-8-74 तक अधिकतम आयु-सीमा पांच वर्ष से शिथिल की जाएगी)	**आवश्यक :** (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य। (2) संस्थापन/वितरण अधिन्यासों का एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनीयरी म उपाधि।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में नियोजित हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

रक्षा मंत्रालय के अधीन रेडार और संचार परियोजना कार्यालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सिविल संस्थापन) के पद के लिए भर्ती नियम

1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सिविल संस्थापन)	एक	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 3, अराजपत्रित	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अनधिक	(1) सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा उपाधि (2) विद्युत और सिविल संस्थापन रेखाचित्र तैयार करने और उनकी जांच पड़ताल करने का एक वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में नियोजित हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी) ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

रक्षा मंत्रालय के अधीन रेडार और संचार परियोजना कार्यालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (संगणना) के पद के लिए भर्ती नियम

1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (संगणना)	दो	रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग 3, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अनधिक	**आवश्यक** 1. गणित/सांख्यिकी में आनर्स की उपाधि । 2. फार्टन संगणक प्रक्रमन प्रशिक्षण । 3. **वांछनीय** प्रक्रमन का अनुभव । सूत्र कार्यों का ज्ञान ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियोजित हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी) ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

[फा० सं० ए/01618/सी ए ओ/आर एण्ड आर 2]

डी० सी० अग्रवाल,
सहायक सी० ए० ओ०

New Delhi, the 26th November, 1973

S.R.O. 361.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Scientific Assistant (Class III Non-Gazetted) in the Radar and Communication Project Office under the Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Radar and Communication Project Office (Junior Scientific Assistant) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Junior Scientific Assistant (Cartographer)	One	Civilian in Defence Services Class III (Non-Gazetted)	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	Not applicable	Not exceeding 28 years	**Essential** (1) 1st or 2nd Class BA Degree in Geography with Cartography as a subject. (2) Experience in interpretation of maps for survey work. **Desirable :** Honours/Masters Degree in Geography.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment	**Transfer on deputation:** Persons employed in similar or equivalent grades in Central Government offices and having qualifications prescribed for direct recruitment (Period of deputation ordinarily not to exceed 3 years).	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
2. Junior Scientific Assistant (Installation-Planning)	Six	Civilian in Defence Services Class III (Non-Gazetted)	Rs. 210-10-290--15 320-EB-15-425	Not applicable	Not exceeding 28 years (Provided that upto the period 18-8-74) the upper age limit will be relaxable by 5 years)	**Essential :** (1) Diploma in Electrical Engg. of a recognised University or equivalent. (2) One Year's experience in installation/ distribution layouts. **Desirable:** Degree in Electrical Engineering from a recognised University.
3. Junior Scientific Assistant (Civil Installation)	1	Civilian in Defence Services Class III (Non-Gazetted)	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425.	Not applicable	Not exceeding 28 years	(1) Diploma/Degree in Civil Engineering. (2) One Year's experience in preparing and checking electrical and Civil installation drawing.
4. Junior Scientific Assistant (Computation)	Two	Civilian in Defence Services Class III Non-gazetted (Non-ministerial)	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	Not applicable	Not exceeding 28 years.	**Essential:** (1) Honours Degree in Mathematics/Statstics. 2. Fortran IV Computor Programming Training. **Desirable:** Experience in Programming Knowledge of formula transactions.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	**Transfer on deputation** : Persons employed in similar or equivalent grades in Central Government Offices and having qualifications prescribed for direct recruitment. (Period of deputation not to exceed three years)	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By transfer on deputation, failing which by direct recruitment.	**Tranfer on deputation :** Persons employed in similar or equivalent grades in Central Government Offices and having qualifications prescribed for direct recruitment. (Period of deputation ordinarily not to exceed three years)	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	**Transfer on deputation** : Persons employed in similar or equivalent grades in Central Government Offices and having qualifications prescribed for direct recruitment. (Period of deputation ordinarily not to exceed 3 years)	Not applicable	Not applicable

[File No. A/01618/CAO/A&R/II]
D.C. AGGARWAL, Asstt. C.A.O.

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1973

का. नि. आ. 362.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, एतद्द्वारा मेरठ छावनी बोर्ड से सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 10 जुलाई, 1974 तक या उनके पद उत्तराधिकारी के, शासकीय राजपत्र में, निर्वाचन अधिसूचना की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फाइल नं. 29/28/सी./एल. एण्ड सी./66/3015-सी/डी. क्यू एण्ड सी.]

डी. आर. थम्पीराज, अवर सचिव

New Delhi, the 27th November, 1973

S.R.O. 362.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 15 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government being satisfied that it is necessary in order to avoid administrative difficulty hereby extends the term of office of all the elected members of Meerut Cantonment Board up to 10th July, 1974, or the date of notification of elections of their successors in office in the official Gazette, whichever is earlier.

[File No. 29/28/C/L&C/66/3015-C/D(Q&C)]

D. R. THAMPI RAJ, Under Secy.

का. नि. आ. 363.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वायु सेना में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी 1 के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारतीय वायुसेना (ज्येष्ठ 1 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी 1) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	8 (आठ)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, वर्ग 2, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	325-15-475-द०रो० 20-575 रु०	चयन	35 वर्ष (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल की जा सकेगी)	**आवश्यक :** 1. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम०एस० सी० या इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य अर्हता और एक वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० या समतुल्य अर्हता और चार वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता और चार वर्ष का अनुभव। (इंजीनियरी या विज्ञान की विशिष्ट शाखा, भर्ती से सम्बद्ध अधियाचना में उपदर्शित की जाएगी)। (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)।

1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी I	चार	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, वर्ग 3, अराजपत्रित अननुसचिवीय	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	अचयन	21-30 वर्ष के बीच	2. (i) एम०एस०सी० या इंजीनियरी में उपाधि । या (ii) बी०एस०सी० और दो वर्ष का अनुभव । या (iii) इंजीनियरी में डिप्लोमा और दो वर्ष का अनुभव

8	9	10	11	12	13
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
नहीं	दो वर्ष	पच्चीस प्रतिशत-विभागीय प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की हो ।	वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति ।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।
नहीं	दो वर्ष	पचहत्तर प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, पच्चीस प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति द्वारा :** ऐसा प्रयोगशाला सहायक जिसके उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **स्थानान्तरण द्वारा :** ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर पदों पर कार्य कर रहे हों ।	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति ।	लागू नहीं होता

ए० एस० बेदी, अवर सचिव

S.R.O. 363.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Scientific Assistant and Junior Scientific Assistant Grade I, in the Indian Air Force, namely :

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Air Force (Senior/Junior Scientific Assistants Grade I) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applications.**—These rules shall apply for recruitment to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, their classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, where required, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post	No. of the posts	Classification	Scale of pay	whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Scientific Assistant	8	Civilians in Defence Services Class II, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475-EB-20-575.	Selection	35 years (Relaxable for Government servants).	**Essential :** (i) M.Sc. or Degree in Engineering from a recognised University or equivalent qualification with one year experience. OR B.Sc. from a recognised University or equivalent qualification with 4 years experience. OR Diploma in Engineering from a recognised Institution or equivalent qualification with 4 years experience. (Specific branch of Engineering or Science would be indicated in the requisition for recruitment). (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).
Junior Scientific Assistant Grade I	4	Civilians in Defence Services Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425.	Non selection	Between 21-30 years.	(i) M.Sc. or Degree in Engineering. OR (ii) B.Sc. with two years experience. OR (iii) Diploma in Engineering with two years experience.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer grades from which promotion/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	Two years	25% by departmental promotion failing which by direct recruitment, 75% by direct recruitment.	**Promotion :** Junior Scientific Assistant Grade I with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class II Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
No	Two years	75% departmental promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment, 25% by transfer failing which by direct recruitment.	**By Promotion :** Laboratory Assistant with three years regular service in the grade. **By transfer** Persons working in similar, equivalent or higher posts in the lower formations of Defence Services.	Class III DPC.	Not applicable.

A. S. BEDI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973